बोर्ड की 25 नवंबर 2022 को हुई बैठक में लिए गये निर्णय

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
1.	190	10 नवंबर 2022 को आयोजित बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि.	बोर्ड ने 10 नवंबर 2022 को आयोजित बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की.	सामान्य प्रशासन
2.	191	इंदिरा गोदी, मुंबई स्थित वर्तमान मुंबई अंतर्राष्ट्रिय क्रुज टर्मिनल (एमआईसीटी) का उन्नयन तथा आधुनिकीकरण. - संशोधन लागत प्राक्कलन (आरसीई) तथा सिविल निर्माण कार्यो में परिवर्तन.	बोर्ड ने टिप्पणी के परिच्छेद 6 में दिए गए मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	स्थापत्य अभियांत्रिकी
3.	192	18 अक्तूबर 2022 को आयोजित बोर्ड में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट.	बोर्ड ने 18.10.2022 को आयोजित बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिर्पोट को नोट किया.	सामान्य प्रशासन
4.	193	निविदा संख्या सीएमओ-04/21-22 के तहत खुली ऑनलाईन आमंत्रित करने 3% आकस्मिकताओं सहित 2 वर्षों के लिए ₹2,65,27,032 की कुल प्राक्कलन लागत (₹1,32,63,516 - 1 वर्ष के लिए) को मंजुरी जो मुंबई पत्तन प्राधिकरण अस्पताल, वडाला 400037 स्थित (i) 4 संख्या बेसिक लाईफ सर्पोट ॲम्ब्युलंसो, (पोर्ट फायर सव्हिसेस के लिए 2 बीएलएस ॲम्ब्युलंस सहित) (ii) 1 संख्या ॲडव्हान्स लाईफ सर्पोट (कार्डियाक) ॲम्ब्युलंस की आपूर्ति द्वारा ॲम्ब्युलंस सेवाओं का आउटसोर्सिंग प्रारंभ में एक वर्ष की अवधी के लिए और संतोषजनक कार्य निष्पादन के आधार पर अथवा अस्पताल को ग्राही को हस्तांतरण किए जाने तक, इसमें से जो भी पहले हो 2 बीएलएस तथा अस्पताल के लिए तय किए गए 1 एएलएस ॲम्ब्युलंसों को आगे एक वर्ष के लिए नवीनीकृत करने तथा उसी शर्तो, निबंधनों तथा यदि आवश्यक हो तो मुंपप्रा के विकल्प पर दरों पर 1 वर्ष की अवधि के लिए विस्तारणीय हो.	बोर्ड ने टिप्पणी के परिच्छेद 15 में दिए गए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी

5.	194	मुंबई बंदरगाह में निर्माण प्रचालन तथा हस्तांतरण (बीओटी) आधार पर अपतटीय कंटेनर पोतघाटों का निर्माण तथा कंटेनर टर्मिनल का विकास संबंधी सुलह तथा समझौता समितियाँ (सीएससी) ओसीटी की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन.	बोर्ड ने चर्चा के बाद, यथा निम्नवत टिप्पणी के परिच्छेद 5(i) में आशोधन के साथ परिच्छेद 5 में दिए गए मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदित किया. 5(i) ओसीटी परियोजना की मूल्यांकन रिपोर्ट को तैयार करने के लिए एसबीआई कॅप्स की प्रमुख सलाहाकार के रुप मे नियुक्ति के साथ उपरोक्त परिच्छेद 3 में यथा वर्णित भुगतान शर्तों को मिलाकर ॲड्रॉयट को ₹3.75 लाख की मूल्यांकक फी का भुगतान.	स्थापत्य अभियांत्रिकी
6.	195	ऑनलाईन निकर्षण अनुश्रवण प्रणाली.	बोर्ड ने टिप्पणी के परिच्छेद 7 में यथा वर्णित शर्तों तथा निबंधनों और कार्य की व्याप्ति के साथ एक (1) वर्ष की अवधी के लिए स्वदेशी "नीअर रीअल टाईम ड्रेजिंग मॉनिटरींग सिस्टम" के उपयोग हेतु लाइसेंस प्रदान करने के लिए ₹3.89 लाख (जीएसटी को छोडकर) की राशी के लिए एनटीसीपीडब्लुसी के वित्तिय प्रस्ताव को स्वीकार करने के मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया.	स्थापत्य अभियांत्रिकी
7.	196	निविदा संख्या सीई.एफएसआरयु/2019 - लॅण्ड लाइसेंस मॉडेल पर मुंबई बंदरगाह में फ्लोटिंग स्टोरेज एण्ड रिगैसिफिकेशन युनिट की स्थापना, प्रचालन तथा अनुरक्षण करना. - विशेषज्ञ समिति का गठन.	बोर्ड ने टिप्पणी के परिच्छेद 6 में दिए गए मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	स्थापत्य
8.	197	प्रिंसेस गोदी स्थित एम शेड इमारत की संरचनात्मक लेखा परीक्षा करना तथा विस्तृत लेखा परिक्षा रिर्पोट का मुंपप्रा को प्रस्तुतीकरण.	बोर्ड ने चर्चा के बाद, टिप्पणी के परिच्छेद 6 में दिए गए मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	स्थापत्य
9.	198	करारों / संविदाओं पर मुंबई पत्तन के बोर्ड का कॉमन सील लगाना - कार्यपध्दती में परिवर्तन.	बोर्ड ने सभी करारों पर बोर्ड का सील लगाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव को अधिकार प्रत्यायोजित करने को अनुमोदन प्रदान किया.	सामान्य प्रशासन
10.	199	1.1.2004 को तथा बाद मे भर्ती हुए कर्मचारियों हेतु केंद्रीय सिविल सेवाएँ - (नॅशनल पेंशन सिस्टम कार्यान्वयन) नियम, 2021 का अंगिकार.	बोर्ड ने एनपीएस द्वारा शासित मुंपप्रा के कर्मचारिओं हेतु सीसीएस (आईएनपीएल) के अंर्तगत नियम 10 को छोडकर सीसीएस (आईएनपीएस) नॅशनल पेंशन सिस्टम नियम 2021 के कार्यान्वयन का अंगिकार करने के वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया.	वित्त

11.	200	विवाह के बाद विकलांग संतानों को परिवार पेंशन प्रदान करना - सरकारी कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 16.01.2013 का अनुकूलन / वर्तमान पेंशन विनियमों में संशोधन - संबंधी.	बोर्ड ने विकलांग विवाहित संतानों को परिवार पेंशन प्रदान करने के लिए वर्तमान मुंपप्रा विनियमों के विनियम 6(बी) के अंर्तगत सरकारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/33/2012 - पी एण्ड बी डब्लु (ई) दिनांकित 16.1.2013 के अंगिकार हेतु वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया.	वित्त
12.	201	संशोधित प्राक्कलन, 2022-23 तथा बजट प्राक्कलन, 2023-24.	वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी के संशोधित प्राक्कलन, 2022-23 तथा बजट प्राक्कलन, 2023-24 के प्रस्ताव को मंजुरी प्रदान की जाती है, बशर्ते महा पत्तन प्राधिकरण (लेखा तथा लेखा परिक्षा) नियम, 2021 के संबंध में सरकार की मंजुरी हो.	वित्त
13.	202	एम.टी. "मर्स्क कॅलाओ" का 29.7.2021 को नौ-प्रस्थान समय - विवाद.	बोर्ड ने मर्स्क कॅलाओ के मास्टर को संदेह का लाभ प्रदान करने के तथा इस मामले में ₹11,23,821.81 जोड जीएसटी की राशी के गलत सिग्नल प्रभारों के लिए जमा पत्र (क्रेडिट नोट) प्रदान करने के उपसंरक्षक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	समुद्री
14.	203	सामान्य उप विधी (जीबीएल) तथा दर मानों (एसओआर) के अंर्तगत भंडारण अनुज्ञा.	बोर्ड ने निम्नानुसार, टिप्पणी के परिच्छेद 13 में वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा प्रस्तावित आशोधनों सहित परिच्छेद 11 में दिए गए यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया. "यातायात प्रबंधक को आवेदनों जिनमें रेलवे गोदामों (शेडस्) तथा विस्तारों (एक्सटेंशन्स) से संबंधित शामिल है, अनुज्ञा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया जाए."	यातायात
15.	204	पीपीपी तरीके से प्रिंसेस गोदी, मुंबई स्थित मुंबई मरीना का अभिकल्प निर्माण, वित्त व्यवस्था, प्रचालन तथा हस्तांतरण - परियोजना प्राचल में संशोधन.	बोर्ड ने मुख्य अभियंता के संशोधित प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया जिसमे कार्यान्वयनों के तरीके के निम्नलिखीत विकल्प मंत्रालय को प्रस्तुत करने होंगे, और अगर केवल एक ही विकल्प का अंगिकार करना है तो एसएफसी इस पर मार्गदर्शन भी करेगी. <u>विकल्प - I</u> उपरोक्त परिच्छेद 8 में यथा प्रस्तावित वाणिज्यिक उपयोग हेतु ₹11,949/चौ.मी./वर्ष के दर से 36987	स्थापत्य अभियांत्रिकी

			चौ.मी. के (2 हेक्टेयर भूमी पर) समूचे बिल्ट अप एरिया पर प्रभार लगाकर, तथा बोर्ड द्वारा दिनांक 26.4.2022 के बोर्ड संकल्प संख्या 29 के तहत यथा अनुमोदित अन्य परियोजना प्राचलों को यथावत रखते हुए पीपीपी तरीके से मरीना का विकास, तथा यदि विकल्प-I सफल नहीं हुआ तो विकल्प - II के अनुसार कार्यान्वयन के विकल्पी तरीके पर विचार किया जाए जो निम्न प्रकार है : विकल्प-II (ए) भारत सरकार से (पत्तन, पोत परिवहन तथा जलमार्ग मंत्रालय तथा पर्यटन मंत्रालय सहित), 100% वित्त पोषण अर्थात ₹243 करोड के साथ इपीसी आधार पर मरीना का विकास. (बी) निर्माण पूरा होने के बाद मरीना के प्रचालन तथा प्रबंधन हेतु एक स्वतंत्र प्रचालन तथा प्रबंधन संविदाकार को नियुक्त करना. (सी) मुंपप्रा में पहले से ही पेनेल पर रखे गए आस्ति मौद्रिकीकरण परामर्शदाताओं के जरीए वाणिज्यिक विकास हेतु मरीना के पीछे की समुची भुमि (7.50 हेक्टेयर) का मौद्रिकीकरण.	

C6/Pro 10 November actiontaken20221110(hindi)